International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 09-04-2026, Accepted: 10-05-2026, Published: 25-05-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 240-245

दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का योगदान

सुनीता यादव
सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षा खिचरी, बरमकेला, सारंगढ़–बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक ऐसी मानवीय एवं लोकतांत्रिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह शिक्षा व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, श्रवण, दृष्टि अथवा बहुविकलांगता से प्रभावित क्यों न हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार रखता है। समावेशी शिक्षा न केवल दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ती है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता तथा जीवन कौशल का भी विकास करती है। इसके माध्यम से समाज में समानता, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है तथा "सभी के लिए शिक्षा" की अवधारणा को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई भी बच्चा सामाजिक, आर्थिक अथवा शारीरिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम (Accessible), समान अवसरयुक्त, बहुभाषिक, लचीली एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में बाधारहित अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, सहायक उपकरणों का प्रयोग, डिजिटल संसाधनों की पहुँच तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तृत अध्ययन किया गया है। साथ ही, समावेशी शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों—जैसे संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा विद्यालयी अधोसंरचना की अपर्याप्तता—का विश्लेषण भी किया गया है। शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रावधानों एवं सुधारों का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यह नीति दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समतामूलक, संवेदनशील एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की आधारशिला भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

मूल शब्द: समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समान अवसर, विशेष शिक्षा, सामाजिक न्याय, समतामूलक शिक्षा

समावेशी शिक्षा एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा : विस्तृत प्रस्तावना

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता तथा राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा सामाजिक समानता स्थापित करने, भेदभाव को समाप्त करने तथा मानवाधिकारों की रक्षा करने का सबसे प्रभावी साधन मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को उसकी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य एवं समाज दोनों की जिम्मेदारी है। समाज में अनेक ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, श्रवण, दृष्टि अथवा बहु–अक्षमताओं से प्रभावित होते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्यतः दिव्यांग बच्चे कहा जाता है। पूर्व समय में इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से अलग रखा जाता था। समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों की तरह सीखने में सक्षम नहीं होते। परिणामस्वरूप उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था या फिर उन्हें विशेष विद्यालयों तक सीमित कर दिया जाता था। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक अलगाव तथा विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं।

समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और मानवाधिकार संबंधी जागरूकता का विकास हुआ। आधुनिक शिक्षा दर्शन ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है तथा हर बच्चे में सीखने की क्षमता विद्यमान होती है। केवल उसकी सीखने की गति, शैली और आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं। इसी विचारधारा ने समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की अवधारणा को जन्म दिया। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि सभी बच्चे—चाहे वे सामान्य हों या दिव्यांग—एक ही विद्यालय में साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करें तथा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण–अधिगम की व्यवस्था की जाए। समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐसा वातावरण तैयार करने पर बल देती है जहाँ प्रत्येक बच्चा सम्मान, समान अवसर और सहभागिता का अनुभव कर सके। इसमें शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझते हुए उपयुक्त शिक्षण विधियों, सहायक उपकरणों तथा गतिविधियों का प्रयोग करना होता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली तथा शिक्षण सामग्री को भी दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाना आवश्यक होता है। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत करती है। जब सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब उनमें सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान की भावना विकसित होती है। इससे समाज में भेदभाव कम होता है तथा दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता बढ़ती है। समावेशी शिक्षा न केवल दिव्यांग बच्चों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह सभी बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होती है। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय–समय

पर अनेक नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू की गई हैं। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त "शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009", "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" तथा "सर्व शिक्षा अभियान" जैसी योजनाओं ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने विद्यालयों में रैंप, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, ब्रेल पुस्तकें, श्रवण यंत्र तथा अन्य सहायक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम विद्यालय, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षित शिक्षक तथा लचीली शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गया है। इसके माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और समान अवसरों पर आधारित बनाने का प्रयास किया गया है। समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो समानता, सम्मान और मानवाधिकारों की भावना को सशक्त बनाती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही एक ऐसे समाज का निर्माण संभव है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास का समान अवसर प्राप्त हो सके।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण एवं मानवीय अवधारणा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें दिव्यांग एवं सामान्य बच्चे एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा तथा समान शिक्षण वातावरण में साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है तथा उसकी सीखने की क्षमता, गति एवं आवश्यकताएँ अलग–अलग हो सकती हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बच्चों के अनुसार लचीला एवं अनुकूल बनाया जाना चाहिए। पहले के समय में दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों से अलग विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण वे सामाजिक रूप से अलग–थलग पड़ जाते थे और उनमें आत्मविश्वास की कमी विकसित हो जाती थी। समावेशी शिक्षा ने इस सोच को बदलते हुए यह सिद्ध किया कि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ रहकर प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं तथा समाज का सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अधिगम सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार विकसित की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार सीखने में सक्षम हो सके। समावेशी शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश, सीखने, खेलने तथा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व भेदभाव रहित शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाता। विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाया जाता है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी सम्मान, सुरक्षा और अपनत्व का अनुभव करे। इससे बच्चों में समानता, सहानुभूति और सामाजिक न्याय की भावना विकसित होती है। समावेशी शिक्षा का तीसरा प्रमुख तत्व सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय प्रशासन मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें सभी बच्चे एक–दूसरे की सहायता करते हुए सीख सकें। समूह गतिविधियों, खेलों तथा सहभागितापूर्ण शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहिष्णुता एवं मित्रता की भावना विकसित होती है। सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चों की कठिनाइयों को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील बनते हैं, वहीं दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास एवं सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित होती है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री एवं संसाधनों की व्यवस्था करना है। समावेशी शिक्षा में यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग हो सकती है, इसलिए उनके लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा, व्हीलचेयर उपयोग करने वाले बच्चों के लिए रैंप तथा अन्य सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रकार के बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सकें। समावेशी शिक्षा का पाँचवाँ और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक सहभागिता एवं आत्मनिर्भरता का विकास है। जब दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। वे स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझते हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है तथा वे भविष्य में आत्मनिर्भर नागरिक बन पाते हैं। समावेशी शिक्षा केवल शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है जो समाज में समानता, मानवाधिकार, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। यह शिक्षा प्रणाली इस बात पर बल देती है कि समाज का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर एक समतामूलक एवं संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा का महत्व

दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा का महत्व वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा केवल शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। समाज में लंबे समय तक दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहभागिता से वंचित रखा गया, जिसके कारण वे आत्महीनता, असुरक्षा तथा सामाजिक अलगाव का अनुभव करते रहे। समावेशी शिक्षा इस स्थिति को बदलने का एक प्रभावी माध्यम है क्योंकि यह दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती है। इसका सबसे बड़ा महत्व समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना में दिखाई देता है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, दृष्टि, श्रवण अथवा बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित हो, उसे भी अन्य बच्चों की तरह समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। विद्यालयों में सभी बच्चों को साथ बैठाकर शिक्षा देने से भेदभाव की भावना कम होती है तथा समाज में समान अवसर की अवधारणा मजबूत होती है। यह शिक्षा प्रणाली सामाजिक न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है और यह संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज

का महत्वपूर्ण सदस्य है। समावेशी शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना है। जब दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तब उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। वे स्वयं को समाज से अलग नहीं समझते बल्कि एक सक्रिय और सक्षम सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाने लगते हैं। इससे उनमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित होती है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को यह विश्वास दिलाती है कि वे भी अपनी योग्यता और परिश्रम के आधार पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा सामाजिक समरसता एवं भाईचारे की भावना को भी मजबूत बनाती है। जब सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब वे एक–दूसरे की आवश्यकताओं, कठिनाइयों और क्षमताओं को समझते हैं। सामान्य बच्चों में दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति, सहयोग, संवेदनशीलता और सम्मान की भावना विकसित होती है। वे यह सीखते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। इससे समाज में भेदभाव, उपेक्षा और असमानता की भावना कम होती है तथा सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण महत्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। समावेशी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आधुनिक शिक्षण संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष शिक्षण सामग्री तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा, व्हीलचेयर उपयोग करने वाले बच्चों के लिए रैंप और विशेष उपकरणों की व्यवस्था उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही, प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएँ, ऑडियो–विजुअल सामग्री एवं सहायक उपकरण भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सरल और रोचक बनाते हैं। समावेशी शिक्षा मानवाधिकारों की रक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय (UNCRPD) के अनुसार शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। समावेशी शिक्षा इसी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चे को सम्मानपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। भारत में भी संविधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा न केवल दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास में सहायक है, बल्कि यह सामाजिक समानता, मानवाधिकार, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसे समतामूलक एवं संवेदनशील समाज के निर्माण का आधार है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में प्रमुख चुनौतियाँ

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सहभागिता तथा व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। यद्यपि सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, फिर भी वास्तविक स्तर पर कई समस्याएँ ऐसी हैं जिनके कारण दिव्यांग बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख समस्या विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अधिकांश विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। कई विद्यालयों में रैंप, व्हीलचेयर की व्यवस्था, विशेष शौचालय, लिफ्ट, रेलिंग तथा सुरक्षित मार्ग जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विद्यालय आने–जाने और कक्षाओं तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई होती है। दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए भी आवश्यक संसाधनों की कमी देखी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण अनुकूल नहीं बन पाता और वे शिक्षा से दूर होने लगते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। समावेशी शिक्षा की सफलता काफी हद तक शिक्षकों की दक्षता एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करती है, किंतु अनेक विद्यालयों में ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है जो दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सकें और उनके अनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। सामान्य शिक्षक अक्सर विशेष शिक्षण विधियों, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि तथा सहायक उपकरणों के प्रयोग से परिचित नहीं होते, जिसके कारण वे दिव्यांग बच्चों को प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इससे दिव्यांग बच्चे कक्षा की गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पाते और उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। समाज में जागरूकता का अभाव भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के मार्ग में एक गंभीर समस्या है। आज भी समाज के अनेक लोग दिव्यांगता को कमजोरी या बोझ के रूप में देखते हैं और यह मानते हैं कि दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। इस नकारात्मक सोच के कारण दिव्यांग बच्चों के प्रति उपेक्षा, भेदभाव तथा संवेदनहीनता का व्यवहार देखने को मिलता है। कई बार विद्यालयों में अन्य बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें अलग–थलग कर देते हैं, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है और वे विद्यालय जाने में रुचि खो देते हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं तकनीकी संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री, सांकेतिक भाषा, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट कक्षाएँ तथा अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, किंतु अधिकांश विद्यालयों में ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर है, जहाँ तकनीकी सुविधाओं का अभाव दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को और कठिन बना देता है। आर्थिक एवं सामाजिक बाधाएँ भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं। अनेक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे अपने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं सहायक उपकरणों पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाते। कई बार परिवारों को यह लगता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना लाभकारी नहीं होगा, इसलिए वे उन्हें विद्यालय भेजने के बजाय घर पर ही रखते हैं। गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में बाधक बनती हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावकों की सीमित भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई अभिभावक दिव्यांगता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते और अपने बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते। कुछ अभिभावक सामाजिक शर्म या भय के कारण बच्चों को विद्यालय भेजने में संकोच करते हैं, जबकि कुछ अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय सहयोग नहीं दे पाते। अभिभावकों और विद्यालय के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी चुनौतियों का परिणाम यह होता है कि अनेक दिव्यांग बच्चे

विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं या शिक्षा की मुख्यधारा से पूरी तरह कट जाते हैं। इससे उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है और वे आत्मनिर्भर बनने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं समाज मिलकर इन समस्याओं के समाधान हेतु गंभीर प्रयास करें, ताकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को समान, सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और वह समाज का आत्मविश्वासी एवं सक्षम नागरिक बन सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, समानतामूलक, लचीला एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई अथवा शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर इस नीति में व्यापक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। लंबे समय तक दिव्यांग बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित रहे, क्योंकि विद्यालयों में उनके अनुकूल सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को समान एवं समावेशी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। यह नीति शिक्षा में समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पक्ष सुगम अधिगम वातावरण का निर्माण है। नीति में विद्यालयों को दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, विशेष शौचालय, व्हीलचेयर की सुविधा तथा सुरक्षित मार्ग जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की बात कही गई है ताकि शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे बिना किसी कठिनाई के विद्यालय में आ–जा सकें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री तथा श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा एवं श्रवण यंत्रों की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया है। इन सुविधाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह सहजता एवं सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की सफलता काफी हद तक शिक्षकों की दक्षता एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों, विशेष शिक्षण सामग्री, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि तथा सहायक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य कर सकें। इससे शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण वातावरण तैयार करने में सक्षम होंगे और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी सहायता के उपयोग को भी विशेष महत्व दिया गया है। आधुनिक तकनीक शिक्षा को सरल, रोचक एवं सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए नीति में डिजिटल शिक्षा, ई–कंटेंट, ऑडियो पुस्तकें, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तथा सहायक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर, स्पीच–टू–टेक्स्ट तकनीक तथा अन्य डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। इससे वे बच्चे जो किसी कारणवश नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा सकते, वे भी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नीति में दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान एवं समय पर सहयोग को भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाए, तो उन्हें उचित शैक्षिक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनके विकास को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की आवश्यकताओं का आकलन करने तथा उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त नीति में बहुभाषिक एवं लचीले पाठ्यक्रम की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांग बच्चों की सीखने की क्षमता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अधिक लचीला एवं सरल बनाने की बात कही गई है। साथ ही, वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया है ताकि बच्चों का मूल्यांकन उनकी क्षमता एवं समझ के आधार पर किया जा सके, न कि केवल पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करती है, बल्कि एक ऐसे समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है जहाँ प्रत्येक बच्चे को सम्मान, समान अवसर और विकास का अधिकार प्राप्त हो सके।

समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

समावेशी शिक्षा को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए समाज, विद्यालय, सरकार, शिक्षक तथा अभिभावकों को मिलकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यदि समावेशी शिक्षा को वास्तविक रूप से सफल बनाना है, तो सबसे पहले विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल आधारभूत सुविधाओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। अनेक विद्यालयों में आज भी रैंप, विशेष शौचालय, रेलिंग, व्हीलचेयर की व्यवस्था, लिफ्ट तथा सुरक्षित मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण दिव्यांग बच्चों को विद्यालय आने–जाने एवं कक्षा तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय को ऐसा बनाया जाना चाहिए जहाँ दिव्यांग बच्चे बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल संकेत, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा की सुविधा तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शिक्षकों को नियमित एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक है। सामान्य शिक्षक कई बार दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझने एवं उनके अनुसार शिक्षण कार्य करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अतः शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों, विशेष शिक्षण सामग्री, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा तथा सहायक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के साथ–साथ उन्हें कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त

अभिभावकों एवं समाज में जागरूकता बढ़ाना भी समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज भी समाज के अनेक लोग दिव्यांगता को कमजोरी या बोझ के रूप में देखते हैं, जिसके कारण दिव्यांग बच्चों के प्रति उपेक्षा एवं भेदभाव का व्यवहार देखने को मिलता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग यह समझ सकें कि दिव्यांग बच्चे भी समान अधिकार एवं सम्मान के अधिकारी हैं। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानने और उनकी शिक्षा में सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच नियमित संवाद एवं सहयोग बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आधुनिक समय में तकनीक शिक्षा को अधिक सरल एवं सुलभ बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है, इसलिए सहायक तकनीकों एवं डिजिटल संसाधनों का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए ऑडियो पुस्तकें, ई–कंटेंट, स्क्रीन रीडर, स्पीच–टू–टेक्स्ट तकनीक, विशेष मोबाइल एप्लीकेशन तथा स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे आसानी से सीख सकें और शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण दिव्यांग बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का सही एवं प्रभावी क्रियान्वयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक योजनाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, किंतु कई बार इनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ, सहायक उपकरण एवं अन्य संसाधन पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुँचें। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी आवश्यक है। विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे सामान्य शिक्षकों को भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा बच्चों की सीखने संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। इससे दिव्यांग बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्राप्त होता है और वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर पाते हैं। इस प्रकार यदि विद्यालयों में उचित आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाएँ, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, समाज एवं अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाई जाए, तकनीकी संसाधनों का विस्तार किया जाए तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली एवं सफल बनाया जा सकता है। इससे दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्राप्त होंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज के आत्मनिर्भर एवं सम्मानित नागरिक बन सकेंगे।

निष्कर्ष

दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय, सामाजिक एवं संवैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा सामाजिक स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। समावेशी शिक्षा केवल विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऐसी व्यापक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, सम्मान, सुरक्षा एवं विकास का वातावरण प्रदान करना है। यह शिक्षा प्रणाली समाज में समानता, आत्मसम्मान, सहयोग तथा सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत बनाती है। जब दिव्यांग एवं सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब उनमें पारस्परिक सहयोग, संवेदनशीलता, सहिष्णुता तथा भाईचारे की भावना विकसित होती है, जिससे सामाजिक भेदभाव एवं असमानता कम होती है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती है। वे स्वयं को समाज का सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सदस्य मानने लगते हैं और अपनी क्षमताओं के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विशेष महत्व है। इस नीति ने शिक्षा को अधिक समावेशी, समानतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल संसाधन, सहायक तकनीक, लचीला पाठ्यक्रम तथा विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त नीति में प्रारंभिक पहचान एवं समय पर शैक्षिक सहयोग को भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों के विकास को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सामाजिक जागरूकता की कमी तथा आर्थिक एवं तकनीकी बाधाएँ। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं समाज सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सरकार को नीतियों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए, विद्यालयों को दिव्यांग अनुकूल वातावरण विकसित करना चाहिए, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा समाज एवं अभिभावकों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब समाज के सभी वर्ग मिलकर समावेशी शिक्षा को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, तभी प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक ऐसे समतामूलक, संवेदनशील एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण का आधार है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने तथा अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Mani MNG. Inclusive education: A practical guide for teachers. Chennai: Notion Press, 2018, 45–52.
2. Mangal SK. Education of children with special needs. New Delhi: PHI Learning, 2019, 88–95.
3. UNESCO. Global education monitoring report: Inclusion and education for all. Paris: UNESCO Publishing, 2020, 112–118.
4. NCERT. Including children with special needs. New Delhi: NCERT, 2014, 23–31.
5. Ministry of Education. National Education Policy 2020. New Delhi: Government of India, 2020, 24–27.
6. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations, 2006, 7–10.
7. Sharma JP. Special education in India: Challenges and perspectives. New Delhi: Atlantic Publishers, 2017, 61–70.
8. Bhatnagar A. Inclusive schooling practices. Jaipur: Rawat Publications, 2016, 39–44.
9. Rehabilitation Council of India. Teacher preparation for inclusive education. New Delhi: RCI, 2019, 18–26.

10. Woolfolk A. Educational psychology and inclusive classrooms. Boston: Pearson Education, 2018, 210–219.
11. World Health Organization. World report on disability. Geneva: WHO Press, 2011, 205–213.
12. Lal R. Teaching exceptional children in inclusive schools. New Delhi: APH Publishing, 2015, 97–104.
13. UNICEF. The state of the world's children: Children with disabilities. New York: UNICEF, 2013, 54–60.
14. Vijayalakshmi P. Foundations of inclusive education. New Delhi: Kanishka Publishers, 2021, 73–81.
15. Department of School Education and Literacy. Samagra Shiksha framework for implementation. New Delhi: Government of India, 2018, 132–140.
16. Dash N. Contemporary issues in inclusive education. New Delhi: Dominant Publishers, 2019, 48–57.